नईदिशा पब्लिक सर्विसेज द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग हेतु "स्वयं सहायता समूह" (SHG) के गठन के लिए "प्रथम चरण के प्रशिक्षण की पुस्तिका"

1. पृष्ठभूमि

समूह में कार्य करना मानव के स्वभाव का हिस्सा है | यह अनुभव किया गया है कि समाज में रहकर मनुष्य एक-दुसरे के सहयोग के बिना जीवन-यापन नही कर सकता है | छोटे-छोटे कार्यो को करने के लिए मनुष्य कई बार अनौपचारिक समूह बनाकर कार्य करता है | इसी अनुभवों से निकल कर "स्वयं सहायता समूह" (SHG) की अवधारणा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आयी एवं एक समान सोच वाले लोगों ने मिल कर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया |

यह समूह मूलतः बचत की अवधारणा पर कार्य करते हैं | इसका मूल उद्देश्य साथ में रहकर अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करना था | इसे ग्रामीण विकास हेतु एक अच्छी रणनीति माना जाने लगा | इसे आधार मानकर विभिन्न परियोजनाओं को भी लागू किया गया | जिसके मिश्रित परिणाम रहे | वर्तमान में देखा जाये तो अच्छे स्वयं सहायता समूह का गठन करने के लिए कार्यकताओं के स्तर पर स्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है | क्योंकि अनेक परियोजनाओं में स्पष्टता नही होने के कारण सही समूहों का गठन नहीं हुआ एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा | इन अनुभवों के आधार पर ही इस सरल मार्गदर्शिका को विकसित किया गया है | इसमें स्वयं सहायता समूह की अवधारणा, उसके नियम, प्रबंधन, लेखा इत्यादि पर विस्तार से सरल हिन्दी में समझाया गया है |

2. स्वयं सहायता समूह की परिभाषा

"स्वयं सहायता समूह किसी गाँव के एक ही टोले/मुहल्ले में सामान्यता: एक समान सोच वाले लोगों द्वारा बनाया गया एक अनौपचारिक महत्वपूर्ण संगठन हैं |"

- स्वयं सहायता समूह के सदस्य आमतौर पर एक समान सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति वाले होते है एवं अपनी इच्छा से आगे बढ़ने के लिए एकजुट होते है |
- किसी भी स्वयं सहायता समूह के गठन के दौरान यह अवश्य ध्यान रखे कि उसके सदस्य एक समान आर्थिक वर्ग से हो एवं गरीब, भूमिहीन, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग एवं पिछड़ी महिलाओं को प्राथमिकता दें |
- एक स्वयं सहायता समूह में 10-20 के मध्य सदस्य हो सकते है |
- स्वयं सहायता समूह महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग हो सकता है |
- किसी भी समूह के सशक्त होने में उसके सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है | वह समूह ही प्रभावी तरीके से कार्यशील रहे जिसके सदस्यों ने समूह को चलाने के लिए सामूहिक रूप से विचार-विमर्श कर उसके नियम एवं रीती-नीति तय किये है और उसका पालन भी सुनिश्चित करते है |

3. स्वयं सहायता समूह बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

कोई भी कार्य जब संगठन के माध्यम से किया जाता है तो वह सरल हो जाता है एवं इसके अनेक उदाहरण है | स्वयं सहायता समूह बनाने के उद्देश्य अत्यंत सरल एवं महत्वपूर्ण है :-

- ग्रामीण गरीबों के मध्य संगठन की भावना को सशक्त करना |
- समूह के सदस्यों में बचत की आदत डालना |
- सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से जोड़ना |
- अपनी क्षमता अनुसार रूपये बचत करना और छोटी-छोटी बचतों के माध्यम से सामूहिक पूँजी का निर्माण करना |
- अपने छोटे-छोटे ऋण की आवश्यकता की पूर्ति समूह से करना एवं लिये गये ऋण को नियत समय पर वापस करना |

- एक-दुसरे की मदद से सदस्यों तथा समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाना |

4. स्वयं सहायता समूह के लाभ

- किसी समूह से जुड़ने से सम्बंधो में मजबूती आती है एवं अपनत्व की भावना बढती है | इसके अलावा इसके अनेक लाभ है जिन्हें विस्तार से निचे बताया गया है |
- सामाजिक सुरक्षा मिलती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है |
- बचत करने की आदत में बढ़ोतरी होती है एवं छोटी बचत के फायदों का महत्व समझ में आता है |
- समूह में आने से विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक मुददों पर चर्चा के माध्यम से जानकारी में बढ़ोतरी होती है |
- सदस्यों के ज्ञान, क्षमता और जानकारी में वृद्धि होता है |
- सदस्यों में आत्मविश्वास तथा स्वयं के प्रति सम्मान का विकास होता है |
- रुपयों की जरूरत पड़ने पर दूसरों पर आश्रित नही होना पड़ता है |
- आवश्यतानुसार ऋण अपने समूह अथवा बैंक के माध्यम से कम ब्याज दर पर आसानी से प्राप्त होता है |
- सामूहिक रूप से अपने उत्पादों को बिक्री बाजार में करने का मौका मिलता है जिससे अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है |
- सदस्यों की आर्थिक-सामाजिक उन्नति होती है |
- इसके अलावा समूह अधिक मजबूत हो तो बड़े मुददों पर भी कार्य कर सकता है जैसे:-
- समूह के पास अधिक पूँजी इक्कठी होने पर समूह एक साथ कच्चे माल या खेती लिए आवश्यक खाद, बीज इत्यादि के खरीददारी कर उस अधिक छुट प्राप्त कर सकता है जिसका सीधे सदस्यों को लाभ होगा एवं उत्पादन की लागत भी कम होगी |
- सरकार की गरीबी उन्मूलन हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी, तकनीक एवं आर्थिक सहायता का लाभ लिया जा सकता है |
- महिलाओं के उपर यदि किसी प्रकार का अन्याय एवं गलत निर्णय लिया जाता है तो उसके खिलाफ सामूहिक रूप से आवाज उठा सकते है |

5. स्वयं सहायता समूह की सदस्यता

स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए निम्लिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है :

- परिवरों की महिला सदस्य को सदस्य बनाने क्योंकि महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा बचत करने की प्रवृत्ति अधिक होती है | परिवार का मतलब एक ऐसी इकाई से है जिसका चूल्हा अलग हो |
- प्रत्येक परिवार से एक ही महिला या पुरुष स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकते है जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो |
- अपनी स्वेच्छा और समूह के सदस्यों द्वारा निर्धारित राशि की नियमित रूप से बचत करने की क्षमता रखती हो |
- समूह में काम करने के इच्छुक हो |
- प्रत्येक बैठक में समय देने के लिए तैयार हो |

6. स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे किया जाता है ?

अच्छे स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया अपनानी पड़ती है | गठन प्रक्रिया की अनदेखी कर हड़बड़ी में बनाये गये जयादातर समूह टिकाऊ नही होते और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहते है |मजबूत एवं प्रभावी स्वयं सहायता समूह के गठन एवं विकास की निम्न अवस्थाएँ है :

- गठन पूर्व :- जागरूकता (Awarness and Performance) लक्षित महिलाओं एवं पुरुषों की पहचान करना |
- गठन के दौरान : प्रारम्भिक 7 बैठक (Organisation) समूह संचालन के तरीकों पर चर्चा
- गठन के बाद : समूह का परिचालन (Operation & Performance)

7. समूह गठन की प्रक्रिया

- प्राय: यह देखा गया है कि अशिक्षित एवं अल्पशिक्षित क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह गठन खासकर महिला समूहों के गठन में थोड़ा लम्बा समय लगता है | अधिक्षित क्षेत्र की महिलाओं को 2-3 तरह की बाधाओं जैसे- अशिक्षा, भाषा की समस्या एवं सामाजिक बंधन इत्यादि का सामना करना पड़ता है |
- पुरुषों का समूह का गठन भी करना है |
- समूह की महिलाओं का चिन्हित करने के बाद, सामुदायिक सहजकर्ता (Community Resource) इन संभावित् महिला सदस्यों के साथ स्वयं सहायता समूह की लाभ के बारे में विस्तार से चर्चा करें | यह काम (सुचना, शिक्षा एवं सामग्री जैसे फिल्म आदि निर्मित फिल्मों) के माध्यम से करना उपयोगी रहता है | सामुदायिक सहजकर्ता समूह के सद्स्यो से परामर्श कर प्रथम औपचारिक बैठक की तिथि और बचत की राशि की तय कर यह सुनिश्चित करें की पहली बैठकों में प्रत्येक सदस्य के घर जाकर उसका बैठक में आना सुनिश्चित करवायें |
- कौन-कौन लोग स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन सकते है |

  (क) अति गरीब या गरीब परिवार की महिला/ पुरुष सदस्य अथवा सहभागिता से गरीबों की पहचान (Participatory Identification of Poor) प्रक्रिया द्वारा चिन्हित गरीब परिवार की महिलायें एवं पुरुष |

  (ख) उपरोक्तानुसार प्रत्येक चिन्हित परिवार की एक महिला/पुरुष, स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन सकती है जिनकी उम्र 18-65 वर्ष के बिच हो,

  (ग) अपनी स्वेच्छा और समूह के सदस्यों द्वारा निर्धारित, नियमित रूप से बचत करने की क्षमता रखती हो |

  (घ) समूह में काम करने की इच्छुक हो |

  (ङ) बैठक में समय देने के लिए तैयार हो |

  (च) महिला एवं पुरुष समूहों का गठन अलग- अलग हो |

जैसे की महिलाएं/पुरुष (पर्वतीय क्षेत्र की दशा में 10-15 तथा मैदानी क्षेत्र की स्थिति में 10-20 महिलायें) चिन्हित होती है, स्वयं सहायता समूह के बारे विस्तार से रखनी होगी | यह कार्य सुचना, शिक्षा एवं संचारदध सामग्री, जैसे- पोस्टर, ब्रोशर, बैनर तथा फिल्म आदि परियोजना की जानकारी देने हेतु निर्मित फिल्मोदध के माध्यम से किया जाना चाहिए | समूह के सदस्यों से परामर्श अथवा समूह के सदस्यों के निर्णयानुसार प्रथम औपचारिक बैठक की तिथि एवं बचत की राशि तय करने में सुविधादाता की भूमिका निभायेगा |

DISHA PUBLIC SERVICES शिक्षा की नईदिशा